न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 36/2025

सोनी देवी बनाम श्रीमती रेखा मीना उप जिला कलक्टर बसवा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थीया श्री श्यामसुन्दर शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के विरूद्ध दावा उदघोषणा, तकास्ता, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 11/2025 एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 4/2.25 उनवानी सोनी देवी बनाम जुगलकिशोर वगै. पेश किया गया है। जिसमें अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी है कि हमने श्रीमती रेखा मीना उपखण्ड अधिकारी बसवा से सांठ गांठ कर ली है और हम उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को हमारे पक्ष में कराकर रहेंगे। अप्रार्थी सं.2 व 3 बाहुबली लोग है जो उपखण्ड अधिकारी बसवा से सांठ गांठ कर उक्त दावा को अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है इसलिये उपखण्ड अधिकारी बसवा से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी बसवा द्वारा प्रार्थी की अर्जी बिना सुने ही उक्त पत्रावली को वास्ते अन्तिम बहस सुनकर निर्णय हेतु दिनांक 5.5.2025 नीयत कर दी। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बसवा से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत टी.आई. नं. 4/2025 में एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करवा लिया गया। प्रार्थीया द्वारा कोई आपत्ति भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिये पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व ही पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें। उप जिला कलक्टर बसवा से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस कदर तहरीर किया गया है, वह काबिले खारिज है, जो न्यायालय की गरिमा के विरूद्ध है। प्रकरण में वादी वकील द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.5.2025 नियत करने का निवेदन करने पर इसी क्रम में आगामी तीख पेशी दिनांक 5.5.2025 नियत की गई थी। आरोपित दोषारोपण मनगढन्त है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सोनीदेवी बनाम जुगलकिशोर वगैरह को लम्बित रखने के उद्‌देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official